न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 8 / 2021 **दायर दिनांकः 22 / 04 / 2021**

उनवान

1. देवलाल आयु 59 वर्ष पुत्र हीरालाल जाति बैरवा निवासी खेडलीगंज (गायत्रीनगर) तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रार्थी

बनाम

1. सूरजकरण आयु 35 वर्ष पुत्र बजरंगलाल जाति मीना निवासी खुरी तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार महोदय तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति :—

वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

प्रतिवादी :— विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

निर्णय

दिनाकः 15 / 06 / 2022

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 'क' आर. टी. एक्ट. का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल महेशपुरा पटवार क्षेत्र मेरमाचाह तहसील अटरू जिला बारां राज0 में खाता संख्या 62 का ख0नं0 82 का रकबा 1.50 है0 आराजी प्रार्थी के दर्ज खाता चली आ रही है। प्रार्थना पत्र के साथ नकल नवीन जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस एवं नजरी नक्शा पेश है जो काबिल गौर है। प्रार्थी के खेत के लगवा रास्ते की तरफ अप्रार्थी क्रम 1 सूरजकरण की खाता संख्या 179 का ख0नं0 83 का रकबा 1.55 है0 आराजी स्थित है। प्रार्थी के स्वामित्व की आराजी ख0नं0 82 का रकबा 1.50 है0 पर आने जाने का स्थाई रास्ता अप्रार्थी क्रम 1 के खेत की उत्तर दिशा की मेड में होकर चला आ रहा है। उक्त रास्ते से प्रार्थी 25 वर्षों से अपने खेत पर आता जाता एवं कृषि यंत्र लाता ले जाता रहा है परन्तु अप्रार्थी क्रम 1 ने इस वर्ष 2021 में रास्ते की भूमि को हांककर रास्ता अवरूद्ध कर दिया है। जिससे प्रार्थी को आने जाने एवं कृषि यंत्र लाने ले जाने का संकट उत्पन्न हो गया है। नकल जमाबन्दी खाता संख्या 179 अप्रार्थी क्रम 1 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। बिना सहायता न्यायालय अप्रार्थी क्रम 1 को उसके द्वारा किये जा रहे अवैधानिक

एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना संभव नहीं है। अगर अप्रार्थी कम 1 अपने अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य में सफल हो गया तो प्रार्थी अपने स्वामित्व की आराजी पर आने जाने एवं कृषि यंत्र लाने ले जाने से वंचित हो जावेगा जिससे प्रार्थी समय पर अपने खेत को नहीं हंकवा सकेगा तथा प्रार्थी की आराजी पडत रह जावेगी जिसके फलस्वरूप प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नहीं होगी तथा प्रार्थी को अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पडेगा। अतः प्रार्थी प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन करता है कि प्रार्थी को अपने स्वामित्व की आराजी खाता संख्या 179 का ख0नं0 83 की उत्तर दिशा की मेड पर ए. बी. अंको से प्रदर्शित स्थायी रास्ता 4 मीटर चौडाई में दिलाया जावे तथा प्रार्थी को उसके खेत पर पूर्व की भांति आने जाने का रास्ता ए, बी, अंको से प्रदर्शित का उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा नहीं डाले। प्रार्थी रास्ते की मुआवजा राशि नियमानुसार जमा कराने को तैयार है। विवाद ग्रस्त रास्ता एवं आराजी वाके ग्राम एवं माल महेशपुरा तहसील अटरू जिला बारां में स्थित है जिसका क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सत्य तथ्यों पर आधारित है। प्रार्थना पत्र अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगे। अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थी प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन करता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी को ग्राम महेशपुरा में प्रार्थी के स्वामित्व की आराजी ख0नं0 82 का रकबा 1.50 है0 पर आने जाने एवं कृषि यंत्र लाने ले जाने का स्थाई रास्ता 4 मीटर चौडाई अप्रार्थी कम 1 के ख0नं0 83 का रकबा 1.55 है0 के उत्तर दिशा की मेड पर होकर दिलाया जावे। प्रार्थी रास्ते की मुआवजा राशि नियमानुसार जमा कराने को तैयार है। रास्ते को संलग्न नजरी नक्शे में ए , बी. अंको से प्रदर्शित किया गया है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में उक्त रास्ता दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी कम 2 तहसीलदार साहब को प्रदान करने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी कम 1 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी कम 2 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया। तहसीलदार अटरू द्वारा पत्रांक/939 दिनांक 04.05.2022 से मौका रिपोर्ट पेश कर कथन किया कि ग्राम महेशपुरा प.म. मेरमाचाह में खाता संख्या 179 का ख0नं0 83 का रकबा 1.55

है0 आराजी अप्रार्थी सूरजकरण के स्वामित्व की है। तथा प्रार्थी के स्वामित्व की आराजी ख0नं0 82 का रकबा 1.50 है0 भूमि पर आने जाने का स्थाई रास्ता अप्रार्थी सूरजकरण के खेत की उत्तर दिशा की मेड से होकर चला आ रहा है उक्त रास्ते पर प्रार्थी पिछले कई वर्षों से आता जाता है परन्तु वर्तमान में अप्रार्थी ने भूमि को हांक कर रास्ता अवरूद्ध कर दिया है जिससे प्रार्थी को खेत पर आने जाने व कृषि यंत्र लाने में काफी परेशानी हो रही है। गै0मु0 सड़क से अपनी खातेदारी के खेत तक जाने के लिए 4 मीटर चौडा रास्ता दिया जाता है तो वह ख0नं0 83 में से 40 मीटर लम्बा रास्ता दिया जायेगा। 4×40=160 वर्गमीटर यानि 0.01 है0 भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी।

3. अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया और निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम महेशपुरा में प्रार्थी के स्वामित्व की आराजी ख0नं0 82 का रकबा 1.50 है0 पर आने जाने एवं कृषि यंत्र लाने ले जाने का स्थाई रास्ता 4.5 मीटर चौडाई अप्रार्थी क्रम 1 के ख0नं0 83 का रकबा 1.55 है0 के उत्तर दिशा की मेड पर होकर दिलाया जावे। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि प्रार्थी के खेत तक जाने के लिए कोई वैकल्पिक रिकोर्डेड रास्ता नहीं है । प्रार्थी वर्षों से इसी रास्ते को वास्तविक रूप में उपयोग एवं उपभोग करता आया है। प्रार्थी के खेत तक पहुंच का यह सबसे लघुतम रास्ता है। प्रार्थी रास्ते की मुआवजा राशि नियमानुसार जमा कराने को तैयार है।

4. उपरोक्त बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। धारा 251 क आर0टी0एक्ट0 के तहत नये रास्ता दिये जाने से पूर्व निम्न शर्तो के पालना जरूरी हैः–

(i) **<u>वैकल्पिक रास्ता नहीं होना</u>**– अभिभाषक प्रार्थी की बहस और तहसीलदार अटरू द्वारा पेश मौका रिपोर्ट दिनांक 04.05.2022 के अनुसार प्रार्थी के खाते की आराजी ख0नं0 82 तक पहुंच हेतु कोई भी रिकोर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी कई वर्षों से अपने खेत तक पहुंचने के लिए इसी रास्ते को वास्तविक रूप में उपयोग एवं उपभोग करता आया है।

(ii) **सबसे लघुतम रास्ता होनाः**– प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ पेश नजरी नक्शा दिनांक 22.04.2021 एवं तहसीलदार अटरू द्वारा पेश मौका रिपोर्ट दिनांक 04.05. 2022 के अनुसार प्रार्थी के खेत ख0नं0 82 तक पहुंच का सबसे लघुतम रास्ता ख0नं0 83 की उत्तरी मेड से होकर जाता है जिसकी लम्बाई करीब 40 मीटर है।

(iii) **डी0एल0सी0 की दुगनी दरों से क्षतिपूर्ति राशि का भुगतानः**—प्रार्थी अप्रार्थी के ख0नं0 83 से होकर दिये जाने वाले रास्ते हेतु उपयोग आने वाली भूमि की डी.एल.सी. दरों से दुगनी राशि का भुगतान करने के लिए सहमत है।

प्रार्थी द्वारा डीएलसी. की दुगुनी राशि जमा कराने की सहमति के आधार पर अप्रार्थी क्रम 1 के ख0नं0 83 में से तहसीलदार द्वारा पेश नजरी नक्शे के अनुसार 4.5 मीटर चौडा व 40 मीटर लम्बा रास्ता दिया जाना न्यायोचित होगा।

—::क्रियात्मक आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0टी0एक्ट स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी के स्वामित्व की आराजी ग्राम महेशपुरा तहसील अटरू के खाता संख्या 62 का ख0नं0 82 का रकबा 1.50 है0 तक आने—जाने हेतु तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट अनुसार ग्राम महेशपुरा के ख0नं0 83 में से उत्तर मेड के सहारे 40 मीटर लम्बा व 4.5 मीटर चौडा रास्ता यानी 180 वर्ग मीटर भूमि की **DLC** की दुगनी राशि अप्रार्थी क्रम 1 को दिये जाने पर रास्ता कायम किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में गै0 मु0 रास्ता दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक 15/06/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां